



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218804  
CG-DL-E-19032020-218804

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941

No. 70]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

फा. सं. 17/3/2018-ईपी(एग्री.IV).—विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) नामक स्कीम वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 27.02.2019 की अधिसूचना सं.17/3/2018-ईपी(एग्री.IV) के माध्यम से आरंभ की गई थी। उक्त अधिसूचना के खंड 4 के अनुसार स्कीम समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लागू होगी। आरंभ में स्कीम दिनांक 01.03.2019 से 31.03.2020 तक किए गए निर्यात के लिए उपलब्ध थी। स्कीम को आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और अब स्कीम के तहत सहायता दिनांक 31.03.2021 तक किए गए पात्र निर्यातों के लिए उपलब्ध होगी।

दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2020

**No. 17/3/2018-EP (Agri.IV).**—The Scheme titled Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products was introduced by the Department of Commerce vide Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.02.2019. As per clause 4 of the said notification, the Scheme would be applicable for a period as specified from time to time. The Scheme was initially available for exports effected from 1.3.2019 to 31.03.2020. It has now been decided to extend the Scheme for a further period of one year and the assistance under the Scheme would now be available for the eligible exports effected up to 31.03.2021.

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.